## विचार बिन्दु

नम्रता पत्थर को भी मौन कर देती है। –प्रेमचन्द

# बुलडोजर जस्टिस अर्थात न्याय का नया रूप

एक युग था, जब आँख फोड़ने पर व्यक्ति को उसकी आँख फोड़ने की सजा दी जाती थी। Eye for Eye का युग था। बर्बरता का युग था। यों जान से मारने पर मृत्यु दण्ड यानी फांसी की सजा शायद आज भी बर्बरता के युग की निशानी मौजूद है। नया युग प्रारम्भ हुआ Universal Declaration of Human Rights,1948 से। इसे और अधिक मानवीय बनाया अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 तथा उसके प्रोटोकॉल्स ने भारत इस संधि का हस्ताक्षर कर्ता है। इस संधि के पार्ट III के अनुच्छेद 6 में यह निर्देश है कि "Nothing in this article shall be invoked to delay or prevent the abolition of capital punishment by any State to the present covenant" इसका अर्थ है फांसी की सजा बन्द होना चाहिये और जब तक कानून से फांसी बंद न हो, राष्ट्रपति अथवा गवर्नर को फांसी की सजा को Communate करने का अधिकार संविधान में दिया है इस बाबत प्रत्येक देश का ध्यान, Second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights dated July11S 1991 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। जहां पर मृत्यु दण्ड को समाप्त करने पर निर्देश है। Every State shall take all necessary measures to abolish the death penalty - Article 1(2)

इंग्लैण्ड में लगभग 100 वर्ष पूर्व महिला कर्मचारी के चम्मच की अथवा ब्रेड की चोरी पर फांसी की सजा का प्रावधान था। फांसी की सजा पब्लिक में दी जाती थी। एक बार फांसी की सजा की जो रिपोर्ट हाउस ऑफ लॉर्डस को भेजी गई, उसमें यह उल्लेख किया गया कि जब फांसी की सजा दी जा रही थी उस समय कई लोगों की जेब कटीं थीं। हाउस ऑफ लॉर्डस ने आदेश दिया कि चूंकि फांसी की सजा का कोई भय (डेटेरेन्ट असर) जनता पर नहीं है अत: उसे बंद किया जावे। जब से वहां फांसी की सजा बंद हो चुकी है।

ममता रेप के लिये फांसी की सजा के लिये विधान सभा में बिल लाने जा रही है। दुष्कर्म के दोषी को 10 दिन में फांसी दी जावेगी। प्रश्न है उपरोक्त संधि के संदर्भ में क्या ऐसा कानून हो सकता है? इसके अतिरिक्त कानून यह है कि केन्द्र से भिन्न राज्य का कानून नहीं हो सकता।

वर्तमान युग मानव अधिकारों का है। भारत का अपना एक संविधान है। जिसमें यह घोषणा की गई है, यहां के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होंगे, जिन्हें Political Rights के रूप में समझा जाता है और सरकार का कर्त्तव्य होगा कि वह जनता को Social, Economical व Political न्याय दे। संविधान के चेप्टर III में मूल अधिकार व चेप्टर IV में नीति निदेशक तत्वों के रूप में उक्त घोषणा को स्पष्ट किया गया है।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार और स्टेट के कर्त्तव्य दिये हैं वे सब लगभग वही हैं जो मानव अधिकारों के नाम से जाने जाते हैं। मानव अधिकार कोर्टस् में प्रवर्तनीय हैं अत: मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व स्टेट के कर्त्तव्य भी कोर्ट में प्रवर्तनीय हैं।

हमारे संविधान उपरोक्त वर्णित अन्तर्राष्ट्रीय संधि व UDHR सभी एक स्वर से घोषणा करते हैं कि "Everyone has the right to life, liberty and security of person" तथा "No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitude a penal offence, under national or international law, the time when it was committed (UDHR, Article 13(2) and Article 15 of the International Covenant, 1966" वर्तमान में Unlawful Activities (Prevention) Act के PMLA केस देश की सुरक्षा, एकता और अखण्डता के लिये चुनौती बने हुये हैं। देश में महिलायें व बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बलात्कार की घटनायें प्रतिदिन हो रही हैं, ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य ने शैतान का रूप धारण कर लिया है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है यहां रेप की 90 घटनायें प्रतिदिन होती हैं। कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और बाद में उसकी निर्मम हत्या ने देश को झकझोर दिया है। यह सच है देश ने ऐसे मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान कानून में दिया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है फांसी की सजा का कोई भी डेटेरेन्ट प्रभाव नहीं है।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जनता को त्वरित न्याय के रूप में 'बुलडोजर जस्टिस' के नाम से न्याय करने की इस नई प्रक्रिया प्रारम्भ की है। इसमें अपराध करने वाले व्यक्ति ने यदि मकान बिना अनुमति के बनाया है तो उसे नगरपालिका के कानून के तहत् नोटिस देकर बुलडोजर से तोड़ा जाता है। बुलडोजर जस्टिस वस्तुत: न्याय की अभिव्यक्ति की व्यंजना है। जनता ने इसे पसन्द किया है। अनाधिकृत तामीर को तोड़ने का जनता ने गाजे बाजे से पसन्द किया है। कुछ लोगों ने बुलडोजर जस्टिस को Due Process of Law के कानून के विरूद्ध माना है। एक हाईकोर्ट (झारखण्ड हाईकोर्ट) ने मकान तोड़ने के फलस्वरूप हर्जा भी दिलाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीआईएल में इस बाबत निर्णय नहीं दिया जा सकता है जो सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी हो। अधिकांश केस वे हैं, जहां किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन, फुटपाथ, पर अनाधिकृत कब्जा किया है और अवैध निर्माण हुआ है अथवा अवैध रूप से अर्जित धन से सम्पत्ति बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अ्ल ईदमे से ऐसे अवैध निर्माण को तोड़ने में कोई रोक नहीं लगाई है।

**उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जनता को त्वरित न्याय के रूप में 'बुलडोजर जस्टिस' के नाम से न्याय करने की इस नई प्रक्रिया प्रारम्भ की है। इसमें अपराध करने वाले व्यक्ति ने यदि मकान बिना अनुमति के बनाया है तो उसे नगरपालिका के कानून के तहत् नोटिस देकर बुलडोजर से तोड़ा जाता है। बुलडोजर जस्टिस वस्तुतः न्याय की अभिव्यक्ति की व्यंजना है। जनता ने इसे पसन्द किया है।**

सन् 2020 में गेंग लीडर विकास दुबे और इसी प्रकार एमएलए मुख्तार अंसारी के मकान पर जो बिना अनुमति के बना था बुलडोजर चलाया गया। एक मुस्लिम युवक को महाकाल के जुलूस पर थूकने के फलस्वरूप उसे लगभग 6 माह जेल में रहना पड़ा, बाद में उसकी जमानत हाईकोर्ट ने दी। बुलडोजर जस्टिस की घटनायें दिल्ली की जहानगिरी, मध्यप्रदेश के खरगौन में, उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में हुई जो अखबार की सुर्खियों में छाई रहीं। यहां जनता ने बुलडोजर जस्टिस का स्वागत किया तो कानून विशेषज्ञों ने इसे क्रूर, अवैध, अन्याय पूर्ण माना है। नूह (पंजाब) की घटना की तीव्र आलोचना की गई। जिन नेताओं ने इसका प्रारम्भ किया उन्हें 'बुलडोजर बाबा' अथवा 'बुलडोजर मामा' कहा गया है और कुछ दिन पूर्व ही रेवन्त रेड्डी को डिमोलिशन मैन कहा गया है।

बुलडोजर जस्टिस को जहां जनता ने धूम धाम से स्वीकार किया वहीं ऐसी प्रक्रिया के विरूद्ध आलोचना भी की गईं। कानून विद्जनों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाओं में राज्य स्वयं जज, जूरी व Executor बन जाता है। अभियुक्त को बिना Fair Trial के सजा नहीं दी जा सकती। बुलडोजर जस्टिस को Rule of Law व जस्टिस सिस्टम को चुनौती बतलाया।

सभी राज्यों में नगर पालिकायें हैं और नगर पालिकायें अधिनियम है। ये नगर पालिकायें Institution of Self government के रूप में कार्य करती हैं। इनका कार्य संविधान के पार्ट XA के अनुरूप होता है। कानून के अनुसार प्रत्येक नागरिक को मकान बनाने के लिये अनुमति लेनी होती है। जो नागरिक बिना अनुमति के निर्माण करते हैं उनका मकान कारण बताओ नोटिस देने के बाद तोड़ा जा सकता है। योगी ने कहा था, नोटिस देने के बाद ही बुलडोजर चलाया जाता है। अपराध घटित होता है, उसके लिये आरोपी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा चलता है, ट्रायल में समय लगता है। ऐसे व्यक्ति ने यदि मकान बिना अनुमति के बनाया है तो उस मकान को तोड़ा जा सकता है। फौजदारी मुकदमा तय होने में समय लगेगा। मकान तोड़ने की प्रक्रिया शीघ्र की जा सकती है। इस प्रक्रिया को पूर्णरूप से कानूनानुसार किया जा सकता है। मकान तोडने से पहले 'शो कोज नोटिस' भेजा जावे आरोपी को सुना जावे और बाद मकान पर बुलडोजर चलाया जावे। जनता ने बुलडोजर जस्टिस को अंगीकार किया है, अवैध निर्माण को तोडने पर जश्न मनाया है। इसे त्वरित न्याय का अर्थात् त्वरित सजा देना मानना चाहिये। जो अपराध हुआ है उसकी सजा तो उसे अलग से मिलेगी। बुलडोजर जस्टिस तो जनता द्वारा दिया गया अतिरिक्त न्याय है।

बुलडोजर जस्टिस अर्थात् बुलडोजर द्वारा अवैध निर्माण को तोडने की कार्यवाही विधि के अनुसार नोटिस देकर की जानी चाहिये। आरोप के आधार बुलडोजर चलाना गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 2.9.2024 की कार्यवाही में कहा है।

महिलाओं व छोटी उम्र की अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार करने और बाद में निर्मम कत्ल करने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं, जिनके लिये संसद के कानून में फांसी की आजन्म कारावास की सजा का प्रावधान है, फिर भी इसका डेटेरेन्ट (निरोधक) असर नहीं है, ऐसी स्थिति में दण्ड देने के प्रावधान को कोई आंच नहीं पहुंचाये, यदि जनता की पीड़ा को कुछ कम करने के लिये बुलडोजर जस्टिस की कार्यवाही की जाती है तो इसमें आपत्ति क्यों? जनहित में मृतक के परिजनों की पीड़ा हरने वाला बुलडोजर जस्टिस एक सशक्त मलहम ही तो है। उपरोक्त संधि के अनुसार यदि मृत्यु दण्ड दिया जाना अमानवीय है तो सर्वोच्च न्यायालय ने वैकल्पिक सजा क्या होगी, इस पर निर्णय देना है अथवा संसद को कानून बनाना होगा।

बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, सार्वजनिक सम्पत्ति की तोडफोड़ करने और हिंसा की गतिविधियों में लिप्त देश के नागरिक समाज के दुश्मन हैं। जो व्यक्ति (नागरिक) अनुच्छेद 51क में दिये गये कर्त्तव्यों की पालना नहीं करता है, वे अधिकार समाप्त करने चाहिये, जो संविधान उसे देता है। ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लडने से वंचित किया जाना चाहिये। उनकी सम्पत्ति भी जब्त की जावे। ऐसे व्यक्ति ने यदि अपना घर बिना अनुमति के बनाया है तो उसे कानून की प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय की पालना करते हुये, बुलडोजर से तोड़ा जा सकता है। जो अपराध उसने किया है, उसकी सजा तो देश का न्यायालय देगा ही, किन्तु न्याय हो रहा है, इसे अभिव्यक्ति देने के हेतु बुलडोजर जस्टिस दिया जावे। यह त्वरित न्याय जनता के गुस्से को शान्त करेगा। राज्य सरकार, नगरपालिका अथवा पंचायत यह न्याय दे सकती हैं, ऐसा करना अपराध नहीं है।

बुलडोजर न्याय के विरूद्ध एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई हेतु प्रेषित हुई है, आशा की जा सकती है कि माननीय न्यायालय इस बाबत निर्देशनों की संहिता जारी करे जैसी विशाका के केस में भी दी गई थी। त्वरित न्याय समय की पुकार है, दुष्कर्म Unlawful Activities Prevention Act व मनी लॉन्ड्रिंग कानून आदि के केसों का निर्णय 6 माह में हो। इनकी प्रक्रिया सरल हो।

**''भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं - राष्ट्रपति मुर्मू''**

**–अतिथि सम्पादक,**
**पानाचन्द जैन**
**पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट**

# पेपर लीक-पेपर लीक, शोर घणा-सत्ता के आकांक्षी दलों के पास, समाधान के नाम पर ठनठन गोपाल

महावीर सिंह

23-11-2023 को राष्टदूत में उपरोक्त टाइटल से एक लेख छपा था। वह समय चुनाव का था। वर्तमान शासक दल और वर्तमान विपक्ष सत्ता प्राप्ति के लिए हर प्रकार के जुमले, आश्वासन उछाल रहे थे। तत्त समय वर्तमान शासकीय दल के पास एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस हर प्रकार के स्पष्टीकरण दे रही थी, की गई कठोर कार्यवाही, गिरफ्तारियों की, कानून में बदलाव की बातें छाती फुला-फुला कर भाषणों में कह रही थी।

उस समय भी इस लेखक का आकलन था कि दोनों ही पार्टियों के पास समस्या की जड़ का समाधान शायद ही हो। जो भी पार्टी सत्ता में आएगी केवल कुछ गिरफ्तारियां आदि करके इस समस्या के समाधान की इतिश्री मान लेंगे। अब मैं पुराने लेख के कुछ अंशों का उल्लेख करूंगा:-

1. प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर्स के लीक पर, अपने-अपने पक्ष में, 25 नवम्बर, 23 को मतदान के लिए अपील करने वाली दोनों बड़ी पार्टियों नें कोई मानने योग्य संतोषप्रद समाधान नहीं बताया।

2. परीक्षाओं में और विशेषत: प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से हजारों हजार नौजवान दुष्प्रभावित होते है। सरकारों के पास विधान सभाओं में बहुमत होता है सो ज्यादा चिल्लापो होने पर सख्त सजा देने के कानून का लोलीपोप पकड़ा दिया जाता है। ज्यादा शोर हुआ तो एस आई टी के गठन की घोषणा कर दो जाती है।

3. इस प्रकार के कदमों से दोषी, अगर सिफारसी नही हुआ तो देर-सवेर उसे सजा भी मिल जाएगी। किसी-किसी का घर बुलडोजर चला कर ढहा दिया जाएगा। किन्तु इस से लाखों लोग जो एक सरकारी नोकरी की आशा मे परीक्षाओं में बैठे थे, उन्हें न्याय मिल जाएगा?

4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसी संस्थाओं से पेपर लीक जोते हैं तो मर्ज कुछ ओर है व दवा कुछ ओर दी जा रही है। इन संस्थाओं के पेपर सामान्य परिस्थितयों में तब लीक तक नही हो सकते जब तक इन संस्थाओं के शीर्ष अधिकारी व सरकार द्वारा लगाए अध्यक्ष, सदस्यों की मिली भगत अथवा अक्षम्य निष्क्रियता अथवा पूर्णत: अयोग्यता न हो।

25 नवम्बर को वोट की देने की आकांक्षा रखने वाली किसी पार्टी नें यह नही बताया कि इन संस्थाओं में होने वाली नियुक्तियों को कैसे पारदर्शी व पूर्णत: योग्यता के अधनर पर लगाए जाएंगे।

5. होता यह है कि जो भी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के प्रभावशाली मंत्री अपने मर्जिदानों को इन पदों पर पारदर्शिता और योग्यता के पैमानों को पूर्णत: धत्ता बताते हुए लगाते है। पिछले 5,10 साल में जो सदस्य-अध्यक्ष आदि लगे है, उन पर विचार करले यह स्वत: स्पष्ट हो जाएगा।

**सुझाव जो दिए गए सरकार::-**

सरकार चाहे तो इन नियुक्तियों में पारदर्शिता व योग्यता लाई जा सकती जी बशर्ते सरकार में निर्णय करने वाले अपने अयोग्य मर्जिदानों को थोंपने का ईमानदारी से मोह त्यागे।

**इसके लिए प्रथम काम होगा--**नियुक्ति से पहले विभिन्न सरकार महकमों से, स्वायत्तशासी संस्थाओं से, रेपुटेड प्राइवेट संस्थानों से अनुभवी, योग्य, ईमानदार लोगों के नाम एकत्र करे। इस प्रकार जो भी नाम आएं उनको सार्वजनिक कर, जनता से राय मांगी जाए कि इन लोगों के विरुद्ध चरित्र, निष्ठा आदि से सम्बंधित कोई प्रतिकूल जानकारी हो तो बताएं। इस प्रकार की कोई दूसरी अच्छी बेहतर प्रक्रिया सरकार के मंत्रीगण, आला अफसरान सरकार के सामने रखें तो उसे अपनाया जाए।

इसके पश्चात एक हाईपावर कमेटी इनमें से 20-30 नामों को शॉर्टलिस्ट करे और मंत्री मंडल के समक्ष रखे।

ओर अंत में बात उचित लगती है कि की विश्वसनीयता पूर्णत: खत्म हो गई है। इसे तत्काल भंग किया जाए। नवयुवकों-युवतियों में विश्वास जगाने के लिए की जांच का दायर कुछ बढ़ाएं। अन्य दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ क्यों न कि जाए? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक पूर्व अध्यक्ष का इस्तीफ़ा लेकर ही काम की इतिश्री क्यों मान ली?

उनसे व अन्य संलिप्त सदस्यों, अधिकारियों व काम में लगे कार्मिकों से गम्भीर पूछताछ की जाए और पेपर लीक के घिनोने कृत्य में लगे सारे लोगों को सजा मिले। वैसे अजमेर की गलियों में आम चर्चा रहती है कि इन संस्थाओं में कैसे-कैसे क्या-क्या सेटिंग्स होती हैं? सारी बातें सही न हों, किन्तु जांच के कुछ न कुछ लीड तो मिल ही सकती है। इन में से नियुक्ति हो। 100 प्रतिशत पेपर लीक रुकने की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता किन्तु ऐसी बहुत ही कम घटनाएं होंगी और मिलिभगत कर पेपर लीक के शक की सुई संस्थाओं की तरफ नहीं घूमेगी।

**–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस**

# हिन्दू-मुसलमानों की एकता के प्रतीक एवं वंचित समाज के मसीहा "लोक देवता रामसापीर"

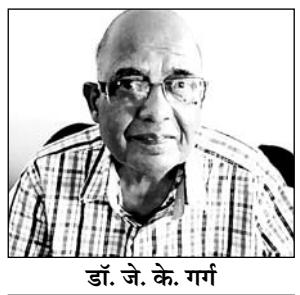

डॉ. जे. के. गर्ग

विक्रम संवत 1409 की भादवा शुक्ल दूज के दिन पश्चिम राजस्थान के पोकरण शहर के नजदीक रुणिचा नामक स्थान के शासक अजमल के घर बाबा रामदेव का अवतार हुआ था। राजस्थान के जन जन के मसीहा पांच पीरों में बाबा रामसा पीर का प्रमुख स्थान है। बाबा रामदेव तंवर राजपूत थे जिसे मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक राजा अजमल ने पुत्र प्राप्ति हेतु दान पुण्य और अनेकों यज्ञ किय। द्वारकाजी में अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए तब राजा अजमल ने उनसे उनके घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने की याचना की तब भगवान द्वारकानाथ ने राजा अजमल से कहा– 'मैं तुम्हे वचन देता हूँ कि तुम्हारा पहला बेटा वीरमदेव होगा और दूसरे बेटे के रूप में मै खुद तुम्हारे आपके घर आउंगा।'

भगवान ने यह भी कहा कि–'जब मैं अवतरित होउगां तब उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर है उसमें घंटियां अपने आप बजने लग जायेगी, महल में जो भी पानी होगा वह दूध में बदल जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आयेंगे वहीं आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं रामदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हो जाउँगा।' कहा जाता है कि श्री रामदेव जी के जन्म लेते ही ऐसी सभी चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई। समय के साथ-साथ बाबा रामदेव जी की प्रसिद्धि भारतवर्ष के साथ दुनिया के अनेकों देशों में फैल गई। बाबा रामदेव जी से प्रभावित होकर उस समय के हजारों हिन्दू जो मुसलमान बन गये थे पुन: हिन्दू धर्म में परिवर्तित होने लगे।

रामदेव जी के बचपन की कई अद्भुत घटनायें है। लोकदेवता रामदेव जी के चमत्कारी परचे प्रचलित है। जन– जन के सेवक और उनके कष्टों को मिटाने वाले रामसापीर रामदेवजी ने राजा बनकर नही अपितु जनसेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों व जरुरतमंदों की हर सम्भव से सहायता और सेवा की। उनकी दया के पात्र हिन्दुओं के साथ मुस्लिम भी होते थे। इतिहासकार मुंहता नैनसी के मारवाड़ रा परगना री विगत नामक ग्रंथ में एक अद्भुत घटना का उल्लेख किया था, जिसके अनुसार पोकरण के अंदर नरभक्षी राक्षस भैरव ने आतंक मचा रखा था। बाबा के गुरु बालीनाथ जी के तप से यह राक्षस डरता था, किंतु फिर भी इसने इस क्षेत्र को जीवरहित कर दिया था। अंत में बाबा रामदेवजी बालीनाथजी के धूणे में गुदड़ी में छुपकर बैठ गए। जब भैरव राक्षस आया और उसने गुदड़ी खींची तब अवतारी रामदेवजी को देखकर वह अपनी पीठ दिखाकर भागने लगा और कैलाश टेकरी के पास गुफा में जा घुसा। वहीं रामदेवजी ने घोड़े पर बैठ उसका वध कर दिया।

रानी नेतल को पर्चा दिया था। सिरोही निवासी एक अंधे साधु को परचा दिया था। रामापीर का प्रसिद्ध मेला उत्तर भारत में धूमधाम गाजेबाजे के साथ हर साल दस दिन भाद्रपद शुक्ल 2 से भाद्रपद शुक्ल 11 तक मनाया जाता है इस वर्ष यह मेला 5 से 13 सितंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। राजस्थान से ही नहीं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। रामदेवरा मेला में हज़ारों भक्त दूर-दूर से बड़े-बड़े समुहों में नाचते गाते, भजन-कीर्तन करते हुये पैदल, बसों, कारों, बेलगाड़ियों, ट्रेक्टर या अन्य साधनों से आते है। मुसलमानों के मसीहा लोक देवता रामदेव जी रामदेव पीर, रामसा पीर, के नामों से जाने जाते हैं।

निसंदेह रामदेवजी का मन्दिर हिन्दू और मुसलमानों की आस्था का केंद्र है और हिन्दुस्तान की गंगा-जमुना साँझा संस्कृति की अद्भुत मिशाल पेश करता है इस पवित्र जगह को साम्प्रदायिक सद्भाव संगम स्थल भी कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विक्रम संवत 1409 की भादवा शुक्ल दूज के दिन पश्चिम राजस्थान के पोकरण शहर के नजदीक रुणिचा नामक स्थान के शासक अजमल के घर बाबा रामदेव का अवतार हुआ था। राजस्थान के जन जन के मसीहा पांच पीरों मे बाबा रामसा पीर का प्रमुख स्थान है। बाबा रामदेव तंवर राजपूत थे जिसे मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है।

संवत् 1442 में अपने हाथ में श्रीफल लेकर अपने सारे बुजुर्गों को प्रणाम किया, सभी उपस्थित भक्तों ने पत्र पुष्प चढ़ाकर रामदेव जी का श्रद्धा से अन्तिम पूजन किया। रामदेव जी ने समाधी में खड़े होकर सब के प्रति अपने अन्तिम उपदेश देते हुए कहा प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ, भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना। प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष में तथा अन्तर्ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्तर पर मेला लगेगा। मेरे समाधी पूजन में किसी से भेदभाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहुँगा ऐसा कहकर रामदेव जी महाराज ने समाधि ले ली। रामदेव मन्दिर मंदिर के समीप ही स्वयं रामदेव जी द्वारा खुदवाई गई परचा बावड़ी अपनी स्थापत्य कला में बेजोड़ है। इस बावड़ी का निर्माण फाल्गुन सुदी तृतीया विक्रम संवत् 1897 को पूर्ण हुआ।बावड़ी का निर्माण रामदेव जी के कहने पर बाणिया बोयता ने करवाया था। इस बावड़ी का जल रामदेवजी का अभिषेक करने के काम में लाया जाता है। रामदेवरा मंदिर बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने रामदेवजी के वर्तमान मंदिर का निर्माण सन् 1939 में करवाया था, उस वक्त इसके निर्माण पर 57 हजार रुपये व्यय हुए थे। रामदेवरा मंदिर अपने आप में अनोखा है क्योंकि यहाँ बाबा रामदेव की मूर्ति भी है और मजार भी। रामदेवरा मंदिर में आस पास के श्रद्धालुओं के साथ-साथ राजस्थान के दूरदराज एवं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आदि प्रान्तों के हजारों श्रद्धालु भी आते हैं। पैदल यात्रियों के समूह मेले के दिन से बहुत पहले से बाबा की जयकार करते हुये, भजन कीर्तन करते हुए बाबा के दर्शन करने और मनोती मांगने पहुचते है। यहां मंदिर में नारियल, पूजन सामग्री और प्रसाद की भेंट चढाई जाती है। मेले के दौरान बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए चार से पांच किलोमीटर लंबी कतारें लगती हैं। निसंतान दम्पत्ति कामना से अनेक अनुष्ठान करते हैं तो मनौती पूरी होने वाले बच्चों का झडूला उतारते हैं और सवामणी करते हैं। रोगी रोगमुक्त होने की आशा करते हैं तो दुखी आत्माएं सुख प्राप्ति की कामना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सैकड़ो श्रद्धालु पहले जोधपुर में बाबा के गुरु के मसूरिया पहाड़ी स्थित मंदिर में भी दर्शन करना नहीं भूलते हैं और उसके बाद जैसलमेर की तरफ रामदेवरा मन्दिर की तरफ कूच करते हैं। बहुत से लोग रामदेवरा में मन्नत भी मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर कपड़े का घोड़ा बनाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। निसंदेह रामदेवजी का मन्दिर हिन्दू और मुसलमानों की आस्था का केंद्र है और हिन्दुस्तान की साँझा संस्कृती की मिशाल पेश करता है।

**–डॉ. जे.के. गर्ग,**
**पूर्व संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा जयपुर**

# पानी को लेकर महिलाओं ने जाम लगाया

**पाटन,** (निसं)। कस्बे के वार्ड नंबर चार में कई दिनों से चल रही पेयजल किल्लत को लेकर परेशान महिलाओं ने गुरुवार को राजकीय अस्पताल के सामने पाटन-डाबला रोड पर जाम लगा दिया। सड़क पर बैठी महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर पीने के पानी की मांग कर रही थी। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

महिलाओं का कहना है कि हमारे यहां पानी की पाइप लाइन नहीं डाली गई है, जिस कारण पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पूर्व भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर पाटन सरपंच ने पेयजल की समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मजबूरन हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम यहां से नहीं हटेंगे। पाटन सरपंच मनोज चौधरी ने बताया कि वार्ड नंबर चार में पानी की पाइप लाइन डलवा दी गई है। उसको चालू भी कर दिया है, लेकिन कुछ घरों में पानी नहीं पहुंच पाया वहां भी जल्द ही व्यवस्था करवा देंगे।

**■ महिलाओं ने कहा है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम यहां से नहीं हटेंगे**

पेयजल किल्लत को लेकर परेशान महिलाओं ने पाटन-डाबला रोड पर जाम लगा दिया।

## राशिफल शुक्रवार 6 सितम्बर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, हस्त नक्षत्र प्रात: 9:25 तक, शुक्ल योग रात्रि 10:15 तक, गर करण दिन 3:02 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 11:01 से तुला राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मिथुन, बुध-सिंह, गुरू-वृष, शुक्र-कन्या, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज राजयोग दिन 9:25 से दिन 3:02 तक है। रवियोग दिन 9:25 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 4:20 से आरम्भ होगी। आज हरितालिता तीज, व्रत, मन्वादि, रोट तीज (दिगम्बर जैन), वराह जयन्ती है। आज कलंक चतुरथी है। आज चन्द्र दर्शन निषेध है। चन्द्रस्त जयपुर में रात्रि 8:26 पर होगा।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर सूर्योदय से 7:45 तक, लाभ-अमृत 7:45 से 10:32 तक, शुभ 12:25 से 13:58 तक, चर 5:05 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:12, सूर्यास्त 6:38

**मेष**
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**वृष**
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

**मिथुन**
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। अतिथियों का आगमन हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

**कर्क**
व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

**सिंह**
नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संभावित धन प्राप्त होगा। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

**कन्या**
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

**तुला**
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ कनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

**वृश्चिक**
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

**धनु**
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में चल रहे मतभेद दूर होने लगेंगे।

**मकर**
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

**कुंभ**
अपनी कार्य योजना को आज सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

**मीन**
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।